

फर्ट अहवाल

(नियम 28)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (मीलवाडा)

नन्दलाल मिता मंगीलाल मोंगा निवासी नैलवा

बनाम

संडी उर्फ नन्दु पत्नी अरुण मोंगा निवासी नैलवा वगैरा

क्रि.स. मुकदमा प्रा0 फर 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 242/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव अज	संख्या व तारीख आवेदन या हुकम की तारीख व जारी हुई
12.04.2021	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की शूमे ग्राम मेलवा पटवार इल्का किशनगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 226/11 रकबा 03.00 बीघा स्थित है। विपक्षीयता आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्हद से प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुशोभ्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमान्दरी सम्बत 2077 से 2077 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वाभित्व की है, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहेर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वाभित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेलवा पटवार इल्का किशनगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 226/11 रकबा 03.00 बीघा की इस्तानलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक खजूरी को कमिस्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(मीलवाडा)